

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या †2662

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

तेलंगाना की मांगें

†2662. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात् केन्द्र सरकार के पास तेलंगाना राज्य सरकार की लंबित मांगों का ब्यौरा क्या है और इनके लंबन के क्या कारण हैं; और

(ख) भविष्य में सभी लंबित समस्याओं का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के बहुत से प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना संबंधी कुछ प्रावधान दीर्घ परिपक्वता अवधि वाले हैं, जिसके लिए अधिनियम में दस वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच कुछ मुद्दे हैं, जिसके लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की आवश्यकता है। द्विपक्षीय मुद्दों को सौहार्द्रपूर्वक हल करने के लिए दोनों राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। गृह मंत्रालय समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार तथा तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, ऐसी 23 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।